

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(1)न्याय/22

जयपुर, दिनांक 12-01-2024


::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को अपने पद के कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुख अंकित विभाग में रिक्त पदों का अग्रिम आदेशों तक अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने हेतु तुरन्त प्रभाव से निर्देशित किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री)	वर्तमान पदस्थापन स्थान	अतिरिक्त कार्य हेतु आवंटित विभाग
1.	अरविन्द कुमार चतुर्वेदी	वरिष्ठ विधि अधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (सप्ताह में 3 दिवस बुधवार से शुक्रवार)
2.	विधि जोशी	वरिष्ठ विधि अधिकारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बांसवाड़ा	उप विधि परामर्शी, कार्यालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (सप्ताह में 3 दिवस सोमवार से बुधवार)


साथ ही इस विभाग द्वारा जारी आज्ञा क्रमांक प.22(1)न्याय/19 दिनांक 22.11.2022 द्वारा श्री विनीत पण्ड्या, वरिष्ठ विधि अधिकारी, जिला परिषद, बांसवाड़ा को उप विधि परामर्शी, कार्यालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के अतिरिक्त कार्य के आदेश को निरस्त किया जाता है। शेष यथावत रहेंगे।

आज्ञा से


(आशुतोष कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि वे अतिरिक्त कार्य हेतु आवंटित स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें।
3. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव